न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर०ए०एस०)

अपील संख्या : 2022/72

1. सुन्दरलाल आत्मज श्री माधोलाल जाति माली निवासी ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
2. लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री माधोलाल जाति माली निवासी ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
3. मोहनलाल आत्मज श्री माधोलाल जाति माली निवासी ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

—अपीलान्टगण

बनाम

1. कल्याण आत्मज श्री नारायण जाति माली निवासी ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
2. कन्हैयालाल आत्मज श्री नारायण जाति माली निवासी ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
3. फूलचंद आत्मज श्री मन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
4. यादव कुमार आत्मज श्री घासीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बोरदा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज0।
5. सत्यनारायण आत्मज श्री घासीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड, न्यू माटून्डा रोड बून्दी राज0।
6. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लोकेन्द्र कुमार, अभिभाषक, रेस्पो. कम 01 से 03 की ओर से ।
3. श्री रघुराज सिंह हाडा, अभिभाषक, रेस्पो. कम 04 व 05 की ओर से

निर्णय दिनांक: 22.08.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिया रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 03 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 33 की कृषि भूमि ख. सं. 147 रकबा 10 बिस्वा, ख. सं. 398 रकबा 3 बीघा, ख. 1256 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख. 1257 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं0 1262 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख. सं. 1264 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख. सं. 1265 रकबा 4 बिस्वा, ख. सं. 1268 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख. 1270 रकबा 06 बिस्वा, ख. सं. 1469 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, ख. सं. 1513 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चेता पटवार हल्का चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण सं0 01 व 02 व उनकी माता मु0 भूरी बेवा नारायण एवं उनके सहखातेदार स्थित है। इसी प्रकार खाता सं0 34 की कृषि भूमि ख. सं. 1254 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम चेंता पटवार हल्का चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण सं0 01 व 02 व उनकी माता मु0 भूरी बाई हिस्सा 1/2 व प्रार्थी सं0 3 फूलचन्द का हिस्सा 1/2 निहित है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। पटवार हल्का चेंता पटवारी द्वारा दिनांक 22.05.2020 को कार्यालय तहसीलदार साहब हिण्डोली के आदेश कमांक 222/राजस्व/2020 दिनांक 26.02.2020 व आदेश कमांक 35037 राजस्व/20 दिनांक 12.05.2020 की पालना में वाके ग्राम चेंता पटवार मण्डल चेंता के प्रार्थना पत्र में दर्ज खसरा सं0 का मौका देखा तथा प्रार्थना पत्र में दर्ज बिन्दू सं0 01 की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 कल्याण, कन्हैयालाल पिता नारायण, भूरी बैवा नारायण जाति माली के रिकार्ड दर्ज है व खसरा सं0 1254 बी उपरोक्त के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज है तथा हिस्सा 1/2 में फूलचन्द पिता मन्नालाल जाति माली के नाम दर्ज है तथा ख0 सं0 1793/1234 रकबा 02 बीघा कल्याण पिता नारायण जाति माली के नाम दर्ज है। प्रार्थना पत्र में दर्ज प्रार्थीगण पूर्व में वाके ग्राम चेंता की आराजी खसरा सं0 322 /1656 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा किस्म सिवायचक व खसरा सं0 325 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा किस्म सिवायचक तथा खसरा सं0 1233 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा व ख. सं. 1234 रकबा 10 बिस्वा सिवायचक भूमि

से होकर अपने खाते की भूमि पर जाते है। खसरा सं0 322/1656, ख0 सं0 325, ख0 सं0 1233,1234 सिवायचक भूमियां है जिसके स्वामी राज्य सरकार है। प्रार्थी उक्त रास्ते को 14 फीट चौडा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना व रास्ते का रिकार्ड में अमल करवाना चाहता है। प्रार्थी अप्रार्थी को उनके खाते की भूमि में से रास्ते में जाने वाली भूमि का मुआवजा नियमानुसार अदा करने को तत्पर है। अतः विवादित आराजी में खाता सं0 34 खसरा सं0 1254 की मेड पर बना हुआ है। उसे राजस्व रिकार्ड में रास्ता घोषित करने व खसरा सं0 322/1656, ख. सं. 325, 1233, 1234 तक 14 फीट चौडा रास्ता घोषित किया जाकर उपरोक्त खसरा नं0 में वर्तमान विद्यमान रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करवाने बाबत् वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.03.2022 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर रास्ता घोषित किये जाने का निर्णय दिया गया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 14.03.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी के निर्णय के अधीन मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 05 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

6. प्रार्थी अपीलांट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

7. हमने अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का अवलोकन किया। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में चालान की फोटो कोपी GRN 6129371 व स्टेट

बैंक ऑफ इंडिया की जमा रसीद की फोटो कोपी है। जो प्रकरण से संबंधित प्रतीत होती है। साथ ही अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2070–2073 खसरा सं0 272, 1279 ग्राम चेंता पटवार क्षेत्र चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2070–2073 खसरा सं0 322, 323, 324 ग्राम चेंता पटवार क्षेत्र चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2070–2073 खसरा सं0 1259, 1261 ग्राम चेंता पटवार क्षेत्र चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2070–2073 खसरा सं0 1263 ग्राम चेंता पटवार क्षेत्र चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी व सत्य प्रति राजस्व नक्शा ग्राम चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी संवत् 1971–1972 संलग्न है। जो कि प्रकरण से संबंधित प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14/03/2022 वस्तु स्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्त होने योग्य हैं। भूमि खसरा संख्या–322, 323, 324, 1263, 1266, 1269, 421/1620, 426, 1259 एवं 1261 वाके ग्राम चेता अपीलान्टस् के खाते की भूमि हैं। खसरा संख्या – 322/1656 राजकीय सिवायचक भूमि वाके ग्राम चेता अपीलान्टस् के खाते की भूमि खसरा संख्या–322, 323, 324 के मध्य स्थित हैं। इस भूमि पर होकर रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण क्रम–1 लगायत 3 के खाते की भूमि में जाने के लिए मौके पर कोई रास्ता नहीं हैं तथा इस भूमि पर होकर रेस्पोडेन्ट क्रम–1 लगायत 3 की भूमि पर जाने के लिए अपीलान्टस् के खाते की भूमि पर होकर जाना पडेगा। भूमि खसरा संख्या–322/1656 गत् 50 वर्षों से भी अधिक अवधि से अपीलान्टस् के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं, जिसे खाते की भूमि के साथ मिलाकर खेत बना रखे हैं, इस प्रकार अपीलान्टस् प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। जिन्हें पक्षकार बनाये बिना यह निर्णय पारित कर दिया गया हैं। अपीलान्टस् के सुनवाई के अधिकार का हनन हुआ है, इस कारण अपीलान्टस् अपील करने की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 राज०टी०एक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व में रेस्पोडेंन्ट क्रम–1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, हिण्डोली ने अपने खाते की भूमि पर आने–जाने के लिए खसरा संख्या–1233, 1234 एवं 1259 की मेढ़ पर होकर रास्ता दिये जाने की प्रार्थना की। जिसके बाबत् माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की अपील, डिक्री/टी. ए./4805/2018/बून्दी सुन्दरलाल बनाम कल्याण वगै0 निर्णय दिनांक 28/03/2019 द्वारा खारीज कर दी गई थी। पुनः उन्ही तथ्यों पर पेश किया गया प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट क्रम–4 व 5

ने भी खसरा संख्या–1259 की मेढ पर होकर रास्ता बनाये जाने एवं खसरा संख्या–1259 के खातेदारान को पक्षकार बनाये जाने का कथन अपने जवाब में किया गया हैं और खसरा संख्या–1259 अपीलान्टस् के खाते की भूमि हैं किन्तु अपीलान्टस् को पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित कर दिया गया हैं, जो खारीज किये जाने योग्य हैं। राजकीय भूमि खसरा संख्या–322/1665, 325, 1233, 1236 पर होकर रेस्पोडेन्टस् प्रार्थीगण का कभी कोई रास्ता नहीं रहा हैं और न ही वर्तमान में कोई रास्ता मौजूद हैं। पटवारी हल्का चेता ने दिनांक 09/02/2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब, हिण्डोली को रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजी हैं, जिसमें भी भूमि खसरा संख्या–322/1665, 325, 1233, 1234 पर होकर कोई रास्ता नहीं पाया गया हैं। यह रिपोर्ट पटवारी हल्का ने तैयार की गई हैं, इसलिए साक्ष्य में ग्राहय नहीं हैं। रेस्पोडेन्टस् प्रार्थीगण ने भूमि खसरा संख्या–322/1665, 325, 1233, 1234 पर अपना रास्ता प्रकट करते हुऐ अंतर्गत धारा–188 एवं 251(ए) राज०टी०एक्ट वाद संख्या – 68/दावा/2016 सुन्दरलाल बनाम कल्याण वगै0 दिनांक 14/07/2017 को न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, हिण्डोली में डिक्री किया गया था जिसकी द्वितीय अपील संख्या – टी.ए./ 4805/2018/बून्दी सुन्दरलाल–बनाम– कल्याण निर्णय दिनांक 28/03/2019 राजस्व मण्डल अजमेर से निर्णित की जाकर दोनो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त कर दिये गये थे तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, हिण्डोली से खारीज कर दिया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय में मौके की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जो साक्ष्य में पढ़ी जाने योग्य नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण के पास सदैव से चला आ रहा रिकोर्ड में दर्ज वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या–272 उपलब्ध हैं, इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य हैं। वैयक्तिक मार्ग का अभाव साबित होने पर ही नवीन रास्ता किया जा सकता है। प्रार्थीगण रेस्पो0 के खेत तक पहुंचने का रास्ता विद्यमान है। जहां सिवायचक भूमि में से रास्ता दिया गया है, वह नं0 पिछले 50 वर्षो से अपीलांट्स के कब्जे काश्त है। रेस्पो0 नं0 04 व 05 ने भी अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब में हमें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक बताया है। मौके पर वास्तव में रास्ता अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि में बना लिया गया है। हमें मौके पर बुलाया भी नहीं। इस रास्ते से सरकारी भूमि के भी टुकडे हो गए है। वस्तुतः दूसरा रास्ता सीधा ख. सं. 272 से सीधा जाता है तथा प्रार्थीगण रेस्पो0 को हम हमारे खाते की भूमि से ख. नं. 1263 की दक्षिणी ओर से रास्ता देने को भी तैयार है। यह रास्ता सुगम व लघु होगा। हम ख. नं. 1263 की दक्षिणी ओर से निःशुल्क रास्ता देने को तैयार हैं क्योंकि मौके पर माप चोख नहीं हुई है इसलिए मौके पर वास्तव में हमारी खातेदारी भूमि में से रास्ता बना दिया गया है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2021(2) पेज 1264, 1286, आर आर डी 2016 पेज 458 व आर आर टी

2022(1) पेज 465 पेश किए। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को खारिज फरमाने का निवेदन किया।

9. रेस्पोन्डेन्टगण के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र ही स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो अपीलांट्स की खातेदारी में से कोई रास्ता दिया है तथा ना ही मौके पर भी इनकी खातेदारी में कोई रास्ता कायम किया गया है। चूंकि अपीलांट्स के कोई हित, अधिकार इस रास्ते से प्रभावित नहीं होते। अतः इनका धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र ही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी रेस्पो0 ने अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से कोई रास्ता मांगा ही नहीं है तथा ना ही दिया गया है। इनका यह कथन भी गलत है कि सिवायचक भूमि के बीचों–बीच रास्ता दिया गया हैं। वस्तुतः मौके की स्थिति अनुसार एक तरफ रास्ता दिया गया है। प्रकरण रेस्जुडिकेता से प्रभावित नहीं है। मौके पर रास्ता सही बनाया गया है। प्रकरण में राशि जमा हो चुकी है तथा मौके पर रास्ता कायम कर लिया गया है। इनका सिवायचक भूमि पर कब्जा भी है तो ये रास्ता कायम करने से कैसे रोक सकते है? अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 2019 पेज 119–124, आर आर टी 2022(1) पेज 556–558 व डीएनजे 2015(2) Rev 85 पेश किए। रेस्पो0 सं0 04 व 05 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने रेस्पो0 सं0 01 से 03 के अधिवक्ता के कथनों एवं बहस का समर्थन किया। अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 04 व 05 ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.03.2022 के विधिसम्मत होने का कथन किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षों को सोच समझकर निर्णय पारित किया है। अंत में अपील अपीलांट खारिज करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.03.2022 को बहाल रखने का निवेदन किया।

10. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्षकारान के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में नकल जमाबंदी संवत् 2074–2077 ग्राम चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के अनुसार खसरा सं0 1254 रकबा 2.03 बीघा कल्याण कन्हैयालाल आ. नारायण मु. भूरी बैवा नारायण हि. 1/2 फूलचन्द पि. मन्ना हि. 1/2 कौम माली सा. देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत् 2074–2077 ग्राम चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के अनुसार खाता सं0 33 की कुल किता 11 कुल रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा कल्याण कन्हैयालाल आ. नारायण हि. 5/6 भूरी बैवा नारायण हि. 1/6 कौम माली सा. देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 09.12.2021 की है। संलग्न दस्तावेजात में सत्यप्रति नक्शा ट्रेस

ग्राम चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी दिनांक 09.02.201 संलग्न है। नकल जमाबंदी संवत् 2077 ग्राम चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के अनुसार कुल किता 02 रकबा 1.4488 बीघा यादव कुमार पुत्र घांसीलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राहम्ण सा. देह व सत्यनारायण पुत्र घांसीलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राहम्ण सा. देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत् 2076–2079 ग्राम चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की खाता सं0 01 में खसरा सं0 322/1656 व 325 भू–धारक के नाम के कॉलम में राज0 सरकार अंकित है। नकल जमाबंदी संवत् 2076–2079 ग्राम चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की खाता सं0 01 में खसरा सं0 1233 व 1258 भू–धारक के नाम के कॉलम में राज0 सरकार अंकित है। हमने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.03. 2022 एवं पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट सहित दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रश्नगत रास्ता राजकीय सिवायचक भूमि ख. सं. 322/1656, 325, 1233 तथा रेस्पो0 04 व 05 के खाते की भूमि खसरा नं0 1791/1234 व 1792/1234 एवं राजकीय सिवायचक खसरा नं0 1258 में से होकर रेस्पों0 01 व 02 के खाते के खसरा नं0 1257 तक कायम किया गया है। ख. सं. 1791/1234 व 1792/1234 खातेदार यादव कुमार, सत्यनारायण रेस्पो0 सं0 04 व 05 के नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त जिन उपरोक्त वर्णित ख. नं. से नवीन रास्ता कायम करने के निर्देश दिए गए है वह राजकीय सिवायचक भूमि में से दिए गए है। अपीलांट्स का कथन है कि ख. सं. 322/1656 सिवायचक भूमि पर उनका कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि राजकीय सिवायचक है तथा स्वयं राजस्व कार्मिको व राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारक तहसीलदार ने राजकीय सिवायचक भूमि से रास्ता प्रस्तावित किया है। ऐसी स्थिति में मुख्य प्रश्न यह है कि राजकीय सिवायचक भूमि पर अपीलांट्स की स्थिति क्या है? तथा अपीलांट की क्या लोकस स्टैण्डी (Locus Standi) है? वस्तुतः राजकीय सिवायचक भूमि पर यदि अपीलांट्स का कब्जा भी है तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। किसी अतिक्रमी द्वारा स्वयं तहसीलदार द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि से प्रस्तावित रास्ते का विरोध किया जाना उचित नहीं है। हमारे मत में अतिक्रमण को विधि द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि मौके पर माप–जौख नहीं होने से वास्तव में रास्ता उनके खेत में कायम कर दिया गया है। इस संबंध में हमारा मत है कि यदि अपीलांट्स को ऐसा लगता है तो वह नियमानुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वयं की भूमि के सीमा–ज्ञान/ पत्थरगढी आदि के लिए आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ सं0 38 पर उपलब्ध फोटोप्रति रिपोर्ट पटवारी दिनांक 22.05. 2020 के अनुसार "प्रार्थीगण पूर्व में खसरा सं0 322/1656 रकबा 2.09 बीघा किस्म सिवायचक तथा खसरा नं0 325 रकबा 1.05 बीघा किस्म सिवायचक

तथा खसरा सं0 1233 रकबा 2.13 बीघा व खसरा सं0 1234 रकबा 0.10 बीघा सिवायचक भूमि से होकर अपने खाते की भूमि में जाते थे।" अतः उक्त रिपोर्ट से प्रस्तावित रास्ता की स्थिति का संकेत मिलता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ 61 पर संलग्न सत्यप्रति नक्शा ट्रेस पटवारी चेंता व मौका रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत रास्ता सिवायचक भूमि एवं रेस्पो0 सं0 04 व 05 की भूमि में कायम किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट का यह भी कथन है कि एक अन्य वैकल्पिक रास्ता गै0 मु0 रास्ता 272 से आगे मिला हुआ रास्ता खसरा सं0 1279 है तथा यहां से प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने हेतु अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा सं0 1263 से होकर दिया जा सकता है तथा वह उसकी स्वयं की खातेदारी की भूमि ख0 सं0 1263 की दक्षिणी ओर से निःशुल्क रास्ता देने को तैयार है। हमारे मत में जब सिवायचक भूमि में से रास्ता उपलब्ध है तो अपीलांट्स अपनी खाते की भूमि ख0 नं0 1263 में से रास्ता क्यों देना चाहता है? वस्तुतः अपीलांट्स की मंशा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण नहीं छोडने की प्रतीत होती है। प्रार्थी रेस्पो0 सं0 01 से 03 को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता साबित होती है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत रास्ता सार्वजनिक रास्ता ही रहेगा तथा इसका उपयोग उपभोग केवल प्रार्थीगण ही नहीं अपितु अन्य खातेदार तथा स्वयं अपीलांट्स भी कर सकते हैं। धारा 251–ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की समरी प्रोसेसिंग के तहत संक्षिप्त जांच कर 90 दिवस में निस्तारण का प्रावधान किया गया है। हस्तगत प्रकरण लम्बे समय तक अधीनस्थ न्यायालय में लंबित रहा। प्रश्नगत रास्ते के उपयोग में ली गई राजकीय सिवायचक व दूसरे खातेदारों की भूमि पर तहसीलदार एवं दूसरे खातेदारों ने कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। ऐसे में स्पष्ट है कि अपीलांट्स के कोई हक राजकीय सिवायचक भूमि से रास्ता दिए जाने से प्रभावित नहीं होते अपितु वह भी प्रश्नगत सार्वजनिक रास्ते का उपयोग कर सकता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स की खातेदारी में से प्रश्नगत रास्ता कायम नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियां भिन्न होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते। अतः अपीलांट्स के कोई हक, स्वत्व प्रभावित नहीं होने के कारण प्रार्थी अपीलांट्स का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा गुणावगुण पर भी प्रकरण के विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.03.2022 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत धारा 96 का प्रार्थना पत्र तथा अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2022 यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 22.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा